प्रकरण संख्या 1-1-2023

सुरेन्द्र बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख इहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.5·2025	प्रार्थी सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश जाति बावरी सा.रासूवाला तहसील संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 7 आई.डी.जी. प.न. 127/126 मु.न. 71 के किला नं. 6 व 7 में पूर्व से पश्चिम किला नं. 4 व 5 से चिपता हुआ 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने बाबत निवेदन किया है। प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 130 दिनांक 26.06.23 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है कि प्रार्थी मु.न. 71 के किला नं. 1 ता 5 की उतरी सींव पर बने गै.मु.खाला की मेड पर से होकर अपनी ढाणी से आवागमन कर रहा है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने पर किसी भी परिस्थिति पर सहमत नही है चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 99/88 की भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त खाता एक ही परिवार से संबंधित है। पक्षकारों में परस्पर भूमि बटवारे संबंधी विवाद है जिसके कारण उक्त रास्ता देने पर सहमति नही बन रही है बतलाते हुए रिपोर्ट भिजवाई तथा अप्रार्थी संख्या 16 व 20 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत एवं मिथ्या वर्णित किये गये है जो अस्वीकार है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण का एक ही परिवार है जिनकी संयुक्त खाता में चक नं. 7 आईडीजी के खाता संख्या 99/88 में कृषि भूमि है। प्रार्थी सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश के हिस्सा में खाता संख्या 99/88 में 2.783 हैक्ट मे से 103/11132 हिस्सा अर्थात 0.025 हैक्ट कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो संयुक्त खाता में है। विधि अनुसार जब तक खाता विभाजन नही हो जाता तब तक प्रत्येक सहकातशतकार का प्रत्येक ईंच पर कब्जा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है का कथन करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। वहस उभयपक्ष सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि प्रार्थी के नाम 2 बिस्वा भूमि है जो संयुक्त खाते में खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी ने संयुक्त खाते में बनी ढाणी के लिऐ रास्ता की मांग की गई है जो संयुक्त खाते में दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी संगरिया	

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner